तत्काल/स्पीड पोस्ट

ई-11011/2/2023-हिंदी

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 03 नवंबर, 2023

सेवा में,

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी माननीय गैर-सरकारी सदस्य एवं
मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों आदि के प्रमुख।

विषय:- **वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 03 अक्तूबर, 2023 को आयोजित 26वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय (या),

वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की **दिनांक 03 अक्तूबर, 2023** को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित 26वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त के किसी मद के संबंध में यदि कोई टिप्पणी हो तो कृपया यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

2. बैठक का कार्यवृत्त सभी कार्यालय प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त के **पृष्ठ संख्या 7** पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए बिन्दुओं पर यथाशीघ्र **मदवार** कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से मंत्रालय को दिनांक **15 दिसंबर, 2023** तक अवश्य अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(आर.एस.शुक्ला)

निदेशक एवं प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. वस्त्र मंत्री जी के निजी सचिव।
2. वस्त्र राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3. सचिव (वस्त्र) के प्रधान निजी सचिव।
4. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
5. वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग।
7. गार्ड फाइल।
8. एनआईसी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

दिनांक 03.10.2023 को आयोजित वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 26वीं बैठक माननीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2023 को सांय 7.00 बजे वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समिति के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्नक में दी गई है।

सर्वप्रथम सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक में समिति के माननीय अध्यक्ष, उपस्थित सभी सदस्यों, मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन किया। तत्पश्चात, सचिव (वस्त्र) महोदया ने समिति के माननीय अध्यक्ष, समिति के सभी माननीय सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों का स्वागत करते हुए संक्षेप में बताया कि वस्त्र मंत्रालय में राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय में हिंदी में कार्य करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को निदेश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जांच बिंदु भी बनाए गए हैं। मंत्रालय में आयोजित की जाने वाली बैठकों में बातचीत बोलचाल की भाषा हिंदी में ही की जाती है। मंत्रालय में अब ई-आफिस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों तथा सोशल मीडिया प्रचार के लिए बन रही लघु फिल्मों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का पुनः स्वागत करते हुए समिति को आश्वस्त किया कि आज की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से अमल में लाने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके पश्चात, सचिव (वस्त्र) के आह्वान पर मंत्रालय के निदेशक एवं प्रभारी राजभाषा ने मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन की प्रमुख उपलब्धियों और इस दिशा में और प्रगति करने के लिए भावी योजनाओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने समिति के माननीय सदस्यों को बारी-बारी से अपने बहुमूल्य सुझाव/विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

1. **श्री अशोक बाजपेयी, संसद सदस्य** ने वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन और बैठक के आयोजन व आमंत्रण हेतु अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यसूची का अवलोकन करते हुए कहा कि समिति की पिछली बैठक 2018 में आयोजित की गई थी। यह बैठक 5 वर्षों के बाद आयोजित हो रही है। कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं।

आज हम आजादी के अमृत काल के दौर से गुजर रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद हमें हिंदी में कार्य तथा संवाद करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्राचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वस्त्र मंत्रालय बहुत पुराना विभाग है। वस्त्र क्षेत्र देश ही नहीं विदेश तक फैला हुआ है। यदि वस्त्र मंत्रालय में हिंदी में काम होगा तो इसका संदेश देश ही नहीं देश की सीमा के उस पार तक जाएगा। वस्त्र क्षेत्र से जुड़े अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं। हमें हिंदी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व देना होगा। डिजिटलाइजेशन के इस युग में कंप्यूटर के माध्यम से भी हिंदी को बढावा दिया जाना चाहिए। भारतीय कपास निगम द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजभाषा रश्मि की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय या इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जो भी पत्रिका प्रकाशित की जाए, उसकी एक प्रति समिति के सदस्यों को भी भेजी जाए। माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यालयों द्वारा जो भी पत्रिका प्रकाशित की जाए माननीय सदस्यों को उसकी मुद्रित प्रति या ईमेल द्वारा मंत्रालय के माध्यम से भेजी जाए। कार्यालयों द्वारा सरल एवं सहज तथा लोक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यालयों द्वारा शब्दकोश का निर्माण किया जाना चाहिए।

2. **श्री शंकर लालवानी, संसद सदस्य** ने केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों एवं नई पहलों के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए सुझाव दिया कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर मेड इन इंडिया के स्थान पर मेड इन भारत या भारत में निर्मित लिखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत किया। सदस्य महोदय ने आगे कहा कि दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाना जाना चाहिए। मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए। मंत्रालय तथा अधीनस्ध कार्यालयों में सरल हिंदी तथा आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यसूची की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., ग्रेटर नोएडा में हिंदी में 100 प्रतिशत कार्य हो रहा है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर में हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत बहुत कम होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यालय द्वारा हिंदी में कार्य को बढावा दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता में भी हिंदी में कार्य का प्रतिशत कम है, इसमें सुधार हेतु समुचित कार्रवाई/प्रयास किए जाने चाहिएं।

3. **श्री सुरेश तिवारी, सदस्य** ने मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन बैठकों का आयोजन नियमित रूप से वर्ष में दो बार अवश्य किया जाना चाहिए। बैठक की कार्यसूची

की समीक्षा करते हुए उन्होंने भारतीय कपास निगम, सैंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज लि., विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय आदि द्वारा किए जा रहे अधिक से अधिक हिंदी पत्राचार की सराहना की। उन्होंने कहा वस्त्र समिति, पटसन आयुक्त का कार्यालय तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट द्वारा हिंदी के पत्राचार में वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सहित इसके अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि तिमाही रिपोर्ट में राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत तथा कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। नियम 12 के तहत सभी कार्यालयों में जांच बिंदु बनाए जाएं और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यालयों में एक ई-संदर्भिका बनाई जाए। इन्हें भविष्य में उपयोग हेतु संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी) में हिंदी की तिमाही बैठकें भी नहीं होती हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि यह कार्यालय अब कार्यशील नहीं होने के कारण यहां बैठक नहीं हो पा रही है।

4. **श्री महेश अग्रवाल, सदस्य** ने समिति की बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए और उनके कर्मठ व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय निश्चय ही नई ऊंचाईयों को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का है इसकी बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि समिति का पुनर्गठन जून, 2023 में हुआ है, इसके पहले की समिति भंग हो गई थी। अब इसकी बैठक निर्धारित समय पर आयोजित करने का प्रयास रहेगा।

सदस्य महोदय ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी की वैश्विक स्थिति बढ़ रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। आज का युग टेक्नोलाजी का युग है और टेक्नोलाजी द्वारा हिंदी को भी पंख लग सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में अपने संबोधनों से हिंदी को नई ऊर्जा प्रदान की है। विदेशों में भी हिंदी को आगे बढ़ाने की परंपरा माननीय अटल जी से शुरू होकर आज तक निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हिंदी में काफी विकास हो सकता है, हिंदी के व्याकरण और इसकी व्यापकता पर ध्यान दिया जाए। जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में होते हैं, उन्हें कार्यालयी भाषा में उपयोग किया जाए। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को सम्मिलित कर लेना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक हिंदी में कार्य कर अपने अधीनस्थों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। कार्यालयों द्वारा अधिक से अधिक ईमेल हिंदी में करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों के प्रमुख आए होंगे,बैठक में उनके आने से ही बैठक सफल होती है। मंत्रालय के कोलकाता और

मुंबई स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में कार्य को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुंबई स्थित जिन अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है, वे बधाई के पात्र हैं।

5. **श्री दिनेश कुमार गौड़**, समिति के सदस्य ने कहा कि आज हिंदी विश्व में फैल रही है। उन्होंने फिजी में 12 वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाने पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि फिजी में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में माननीय विदेश मंत्री ने हिंदी में भाषण देकर देश के गौरव को बढ़ाया है। जी-20 के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्‌बोधन हिंदी में ही दिया। इस परंपरा को आगे बढाने का काम करने की जरूरत है। हिंदी भाषा संस्कृति को जोड़ने का काम करती है।

6. **श्री मनराज गुर्जर, समिति के सदस्य** ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा विषय है जो हमारी आत्मा और भावनाओं को छूता है। भारत सरकार का हिंदी भाषा के प्रति जो लगाव है, वह बहुत अच्छा है, एक नयापन है। उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक अगर अहिंदी भाषी राज्यों में की जाए तो इसका प्रचार-प्रसार अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी होगा। अंत में हिंदी के बारे में एक कविता पाठ के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया।

7. **श्री निखिल यादव, समिति के सदस्य** ने कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु वरिष्ठ अधिकारी एक वातावरण तैयार करें, जब वे स्वयं हिंदी में कार्य करेंगे तो निश्चय ही उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी हिंदी में कार्य करने के लिए मजबूर होंगे। हिंदी भाषा को रोजगार से जोड़ा जाए तो यह हिंदी के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें, सरल और आम-बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाए। कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। इस प्रकार हिंदी के लिए निर्मित प्लेटफार्म उद्‌देश्य परक साबित होगा।

8. **श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी, समिति के सदस्य** ने उपस्थित सभी सदस्यों व अधिकारियों को अवगत कराया कि दिनांक 7 अगस्त से 9 अगस्त, 2023 तक वाराणसी में बुनकरों के लिए एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम का विज्ञापन एचईपीसी द्‌वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र में अंग्रेजी में प्रकाशित कराया गया। अत: एचईपीसी को निदेश दिया जाए कि विज्ञापन हिंदी में प्रकाशित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापन अवश्य हिंदी में दिया जाना चाहिए, तभी वहां के लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन तिमाही आधार पर किया जाए ताकि कार्यालयों में हिंदी के प्रति सजगता रहे। उन्होंने अध्यक्ष

महोदय से यह भी अनुरोध किया कि समिति के सदस्यों को परिचय-पत्र प्रदान किए जाएं ताकि हिंदी के विभिन्न मंचों पर एवं अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों में वे अपनी उपस्थिति उचित रूप में दर्ज करवा सकें। उन्होंने राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

9. **श्री प्रशांत कुमार सिंह, समिति के सदस्य** ने भारतीय कपास निगम द्वारा प्रकाशित रुई शब्दावली और केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) द्वारा प्रकाशित तकनीकी शब्दावली का अवलोकन करते हुए सुझाव दिया कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों द्वारा शब्दावली प्रकाशित की जाए। साथ ही, इसमें सरल, सहज तथा क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का समावेश किया जाए। इससे हिंदी की प्रगति में निश्चय ही सुधार होगा। उन्होंने कहा हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी के बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया जाए। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में हो ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। मंत्रालय में पुस्तकालय के लिए हिंदी के विद्वानों, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों की खरीद की जाए ताकि हिंदी में पठन हेतु पुस्तकें उपलब्ध हो सकें और हिंदी भाषा का परिवेश सृजित हो।

10. **श्री बबन घोष, समिति के सदस्य** ने समिति की बैठक आयोजित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा बंगाल में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाए। मेलों या रोजगार मेलों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने समिति के सदस्यों के लिए परिचय-पत्र जारी करने का अनुरोध किया ताकि वे विभिन्न प्रकार के जनहित या सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता समुचित रूप में सुनिश्चित करा सकें।

11. **श्रीमती शारदाबेन अनिल भाई पटेल, संसद सदस्य** ने समिति की बैठक आयोजित किए जाने पर अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव लिखित रूप में देने का आश्वासन दिया।

12. **श्री रघुवीर शर्मा, सदस्य एवं राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि** ने सभी को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग ने वर्ष 2018 में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हेतु कंठस्थ नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। उन्होंने बताया कि इसके अपडेट वर्जन कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण राजभाषा विभाग द्वारा सूरत में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान किया गया था। उन्होंने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से कंठस्थ का प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल करने के लिए राजभाषा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। कंठस्थ 2.0 को ई-ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है जिसका लोकार्पण पुणे में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान किया गया है। यह ई-ऑफिस पर कार्य करते समय ही तत्काल अनुवाद भी उपलब्ध करा देता है। इससे हिंदी के प्रयोग में बहुत सुविधा मिलेगी।

पुणे में आयोजित राजभाषा सम्मेलन के दौरान हिंदी शब्द सिंधु के नवीन संस्करण का भी लोकार्पण किया गया है। इसे क्षेत्रीय विद्वानों की मदद से तैयार किया गया है जिसमें सभी 22 अनुसूचित भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया है।

13. **अध्यक्ष महोदय** ने समिति के सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि नियमित अंतराल पर समिति की बैठक वी.सी. मोड से भी करा सकते हैं। समिति में देशभर से सदस्यों का नामांकन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण इसके गठन में विलंब हुआ है। इसकी अधिसूचना 23 जून, 2023 को होने के पश्चात आज 3.10.2023 को बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में आंकड़ों से बाहर निकलकर हिंदी के सरल एवं व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ शब्दों का व्यावहारिक होना ही अच्छा है जैसे कमेटी, मोबाइल, ट्रेन को इसी रूप में ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आंकड़े भरने से देश का लाभ नहीं होगा। जब तक हिंदी को दिल से नहीं अपनाया जाएगा तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता है। हमारे सांसदों के अ.शा.पत्र भी अंग्रेजी भाषा में आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उनके पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दें। हम बिना किसी संकोच व व्यवधान के उनका उत्तर हिंदी में दे सकते हैं। सांसदों को भी अ.शा.पत्र हिंदी में भेजना चाहिए। हमें इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। हिंदी को जबरदस्ती किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता है। सभी को स्वेच्छा से हिंदी में काम करना चाहिए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी दिल से हिंदी में काम करते हैं। अटल जी दिल से हिंदी में काम करते थे, बोलते थे। जब काम दिल से होता है तो वह लंबे समय तक टिकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया वह दिल से दिया था। कार्यालयों के अधिकारियों को सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने सचिव (वस्त्र) द्वारा उनके संबोधन के दौरान सरल हिंदी के प्रयोग का स्वागत किया।

14. उन्होंने आगे कहा कि सम्मानित सदस्यों के सुझावों को नोट कर लिया गया है, उन पर यथासंभव समुचित कार्रवाई की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुनकर, कारीगर, किसान भाइयों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी योजनाओं में हिंदी के आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण में कोर्स हिंदी में विकसित किए जाएं। सीएसबी का शब्दावली प्रकाशित करने का प्रयास अच्छा है, लेकिन इसमें प्रयुक्त शब्दों को सरल किया जाए ताकि समझ में आ सकें अन्यथा इसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। पत्र व्यवहार में भी हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। जहां तक समिति के सदस्यों को परिचय पत्र देने का सवाल है, इस संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से अधिसूचित दिशानिर्देशों के आलोक में कार्य किया जाएगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई किए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित बिंदु

1. कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए।
2. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्राचार को बढावा दिया जाना चाहिए।
3. मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जो भी पत्रिका प्रकाशित की जाए, उसकी मुद्रित प्रति या ई-मेल द्वारा मंत्रालय के माध्यम से माननीय सदस्यों को भेजी जाए।
4. कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित तकनीकी शब्दावली तैयार की जाए।
5. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए।
6. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्ध कार्यालयों में हिंदी की सरल तथा आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
7. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर तथा पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता में हिंदी में कार्य तथा हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बहुत कम है, इसमें सुधार हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। अतः जिन कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार व अन्य सरकारी कार्य बहुत कम है, उनमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।
8. तिमाही रिपोर्ट में राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत तथा कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
9. राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत सभी कार्यालयों में जांच बिंदु बनाए जाएं और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. टेक्नोलॉजी के द्वारा हिंदी में काफी विकास हो सकता है, हिंदी के व्याकरण और इसकी व्यापकता पर ध्यान दिया जाए।
11. सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्दों को कार्यालयी भाषा में उपयोग किए जाएं। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को प्रयोग में सम्मिलित किया जाए।
12. कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए।
13. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा विज्ञापन हिंदी भाषा में अवश्य दिए जाएं। वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामगारों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापन अवश्य हिंदी में दिया जाना चाहिए।
14. हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी के बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया जाए।
15. अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में हो ताकि उसे आसानी से समझा जा सके।
16. मंत्रालय में पुस्तकालय के लिए हिंदी के विद्वानों, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों की खरीद की जाए ताकि हिंदी में पठन हेतु पुस्तकें उपलब्ध हो सकें और हिंदी भाषा का परिवेश सृजित हो।
17. कार्यालयों द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों या रोजगार मेलों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए।

वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 03.10.2023 को आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम और पदनाम	
1.	**श्री पीयूष गोयल, वस्त्र मंत्री**	**अध्यक्ष**
गैर-सरकारी सदस्य		
2.	डॉ. अशोक बाजपेयी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
3.	श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री शंकर लालवानी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री सुरेश तिवारी	सदस्य
6.	श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी	सदस्य
7.	श्री प्रशान्त कुमार सिंह	सदस्य
8.	श्री दिनेश कुमार गौड़	सदस्य
9.	श्री महेश अग्रवाल	सदस्य
10.	श्री निखिल यादव	सदस्य
11.	श्री बबन घोष	सदस्य
12.	श्री मनराज गुर्जर	सदस्य
सरकारी सदस्य		
13.	श्रीमती रचना शाह, सचिव (वस्त्र)	सदस्य
14.	श्री रोहित कंसल, अपर सचिव, वस्त्र मंत्रालय एवं महानिदेशक (निफ्ट)	सदस्य
15.	श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
16.	श्री राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
17.	श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय एवं सीएमडी (एनटीसी)	सदस्य
18.	श्री अजय गुप्ता, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय एवं एमडी (सीसीआईसी) तथा सीएमडी (बीआईसी)	सदस्य
19.	श्री नरेश मोहन झा, मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
20.	सुश्री शुभ्रा, व्यापार सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
21.	श्री रघुवीर शर्मा, सहायक निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग	प्रतिनिधि
22.	श्रीमती अमृत राज, विकास आयुक्त, (हथकरघा)एवं (हस्तशिल्प), कार्यालय	सदस्य
23.	श्री ललित कुमार गुप्ता, सीएमडी, भारतीय कपास निगम लि., नवीं मुंबई	सदस्य
24.	श्री सत्य प्रकाश वर्मा, सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई	सदस्य
25.	श्री मलय चन्दन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त एवं सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	सदस्य

26.	श्री अजय कुमार जौली, सीएमडी, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
27.	श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा	सदस्य
28.	डॉ. नरेन्द्र कुमार भाटिया, निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू	सदस्य
अन्य उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी		
29.	सुश्री श्रेया सिंघल, सहायक सचिव	प्रतिनिधि
30.	सुश्री दिव्या मिश्रा, सहायक सचिव	प्रतिनिधि
31.	श्री आर.एस. शुक्ला, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
32.	श्रीमती अंशु गुप्ता, सहायक निदेशक, रा.भा., वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
33.	श्री गौरी शंकर, निजी सचिव, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
34.	श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
35.	श्री कुलदीप, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
36.	श्री रमन भाटिया, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
37.	श्री विनोद कुमार सैनी, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
38.	श्री पल्लव, डीडीओ, वस्त्र मंत्रालय	प्रतिनिधि
39.	श्री सोहन कुमार झा, वरि.निदेशक, विकास आयुक्त (हस्त.) कार्यालय	प्रतिनिधि
40.	कर्नल विक्रांत लखन पाल, पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि
41.	श्री विजयधर चौबे, निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	प्रतिनिधि
42.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय कपास निगम लि.	प्रतिनिधि
43.	श्री के.सी. शाकद्वीपी, महाप्रबंधक, एनएचडीसी लिमिटेड,ग्रेटर नोएडा	प्रतिनिधि
44.	श्रीमती सी.पी. जयश्री, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू	प्रतिनिधि
45.	श्री किशन सिंह घुघत्याल, उपनिदेशक, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	प्रतिनिधि
46.	श्री किशन कौशल, सहायक निदेशक (रा.भा.), वस्त्र समिति	प्रतिनिधि
47.	श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट (मुख्या.)	प्रतिनिधि
48.	श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.), विकारा आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय	प्रतिनिधि
49.	श्री रमेश कुमार, राजभाषा प्रभारी, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड	प्रतिनिधि
50.	श्री शिव कुमार, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, वस्त्र समिति	प्रतिनिधि
51.	श्री नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त, पटसन आयुक्त का कार्यालय	प्रतिनिधि
52.	श्री महेश साव, कनिष्ठ अनुवादक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली	प्रतिनिधि

*****